भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3503

सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

ईएसआईसी की योजनाओं का कार्यान्वयन

3503 डा. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री राजबहादुर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में आवश्यक अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और औषधालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लोगों को अन्य अस्तपालों या औषधालयों में रेफर करने के लिए कोई उपाय लागू किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास ईएसआई योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के क्रमश: 42, 33, 51 और 24 जिलों में कार्यान्वित की गई है।

(ग): वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य में 16 ईएसआई अस्पताल और 98 ईएसआई औषधालय हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध की तुलना में आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर तथा ईएसआईसी के मानकों के अनुसार, क. रा. बी. निगम ने उत्तर प्रदेश में 6 नए ईएसआई अस्पतालों और 14 नए औषधालयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

(घ): ईएसआईसी ने ईएसआई के लाभार्थियों को नकदी-रहित द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समस्त देश में निजी/सार्वजनिक अस्पतालों और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्थाएं की हैं। ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों में सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में, ईएसआई के लाभार्थियों को टाई-अप/पैनलबद्ध अस्पतालों से रेफरल आधार पर नकदी-रहित उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ): वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) सेवाओं, बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं से लाभान्वित बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 35,43,883 और 5,88,98,924 है। इसके अलावा, रुग्णता लाभ, प्रसूति लाभ, नि:शक्तता लाभ, आश्रितजन लाभ और अंत्येष्टि व्ययों के निमित्त 4,62,157 लाभार्थियों को नकद लाभ/राहत प्रदान की गई थी।

*****